उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 597/VII-3-21/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांकः 09 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञाप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–680/VII-3-20/146–एमएसएमई/2013 दिनांक 18 जून, 2020 से प्रख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित–2020) के **क्रमांक–5** में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित–2020) में संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि शीर्ष के अन्तर्गत स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये प्राविधान रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
विद्यमान प्राविधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान	
संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं योजना		संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं योजना	
5.	ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जो विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (संशोधित नीति–2011) के तहत पहले से पंजीकृत हैं और जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन /व्यवसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने के पश्चात् अपना दावा प्रस्तुत कर दिया हो, को विशेष एकीकृत नीति के तहत ही अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्होंने नीति लागू होने के बाद अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (उद्योग) नीति के क्रियान्वयन हेतु आदेश/सामान्य प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश जारी होने के बाद अपने उद्यम को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर योजनान्तर्गत पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। ऐसे उद्यम जो कि नीति लागू होने के पश्चात अपने उद्यम का योजनान्तर्गत पूर्व पंजीकरण (Pre- registration) न करा पायें हों, को संशोधित क्रियान्वयन आदेश/सामान्य	5.	ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जो विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (संशोधित नीति–2011) के तहत पहले से पंजीकृत हैं और जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने के पश्चात् अपना दावा प्रस्तुत कर दिया हो, को विशेष एकीकृत नीति के तहत ही अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा, **किन्तु ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 लागू होने के दिनांक 31.01.2015 के पश्चात नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं और उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है, www.investuttarakhand.com पोर्टल पर योजनान्तर्गत अपने उद्यम को पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। एकल खिड़की निकासी व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण के लिए कॉमन**

संयुक्त निदेशक (D.)/MSS)
ADD DD / श्री चमोली
ई-डेस्क पर भी अपलोड
15/4

निदेशक उद्योग
उत्तराखण्ड

	प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश जारी होने की तिथि के 45 दिन के भीतर एकल खिड़की निकासी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने उद्यम को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर योजनान्तर्गत पंजीकृत कराना होगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) तथा विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पंजीकरण हेतु मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया/दिशा–निर्देश www.investuttarakhand.com पर उपलब्ध है।		एप्लीकेशन फॉर्म पर दाखिल ऑनलाइन आवेदन पर जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय द्वारा जिला प्राधिकृत समिति/राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति ही एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पूर्व–पंजीकरण माना जायेगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) तथा विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पंजीकरण हेतु मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया/दिशा–निर्देश www.investuttarakhand.com पर उपलब्ध है।

3. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश–2015 (यथासंशोधित–2020) की अन्य सभी शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 597/VII–3–21/146(एम.एस.एम.ई.)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
3. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव–मा. लघु उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।